

# TENDER FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR ENGAGEMENT OF AN AGENCY FOR CREATING SKILL DEVELOPMENT IN FIRE SAFETY

Ref. No. CTR/LDH/1833/Misc/2018-01

Dated: 24.10.2018

CENTRAL TOOL ROOM, LUDHIANA is an Indo-German project setup in 1980 under bilateral agreement on technical cooperation between Government of India & Government of Germany. It is working under administrative control of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India.

CTR had been set up as "Government of India Society" under then Ministry of Industry (now: Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise), Government of India. A Governing Council constituted by the Ministry manages the affairs of the society. Governing Council members are from the Ministry of MSME, Govt. of India, the State Governments of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, and U.T. Chandigarh.

Growth and development of the engineering industries as well as other industries depend on the implementation of safety norms at various stages. So, an initiative in this area needs to be introduced to protect the property and life of the public.

These industrial safety practices are usually not implemented in a stringent manner within the reach of small and large scale enterprises. Moreover, these units lack personnel in the field of fire and other safety norms with the respective expertise to safeguard the entire process and structure. Industries tend to save their overhead salary expenditure by not employing trained manpower in fire and safety field.

CTR intends to engage a training provider to impart training and placement in the arena of Fire Safety, Health Safety and Environment at various locations in the neighboring states like J&K, Himachal Pradesh, Punjab, Chandigarh, Haryana, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan. Skill development initiatives in above said subjects need to be delivered under multiple Qualification Packs / Job Roles for the youth of India in various locations.

CTR intends to engage Skill Development / Training Partner for its above stated locations from competent parties who are financially sound, willing to associate and invest in these initiatives to deliver safer work place and environment in industries. The person / company should be willing to invest in creating necessary infrastructure and labs as per norms / guidelines for the Job Role creation in various plant premises and on need basis at various districts of the above said states of India. The sole objective of this EOI is to create more employment and safe workplace following all safety norms in place, as per the Government guidelines.

Tender for “EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR ENGAGEMENT OF AN AGENCY FOR CREATING SKILL DEVELOPMENT IN FIRE SAFETY” are invited by the General Manager, Central Tool Room, Ludhiana, India. The tenders shall be received up to 02.00 p.m. on 15.11.2018 and shall be opened in the presence of intending tenderers at 3:00 p.m. on the next day i.e. 16.11.2018. Tenders received late will not be accepted. Tenders should be accompanied by interest free Earnest Money of an amount of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) in the form of Demand Draft / Bank Guarantee in favour of “Central Tool Room Ludhiana” payable at Ludhiana. Tenders without Earnest Money will not be accepted.

Tenders must be submitted only on on-line on [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) portal before the stipulated date and time.

All pages of this tender document are to be signed and submitted with tender.

The tenders should be submitted in two parts. Part ‘A’ should contain the technical part as below. No price should be indicated in this Part ‘A’. DD FOR EARNEST MONEY SHOULD ALSO BE PUBLISHED IN THIS PART. All pages of this tender document are to be signed and uploaded with this part ‘A’.

Part ‘B’ of the tender should contain the prices quoted by the Tenderer. It is very important that the prices are quoted with reference to the description of CTR’s share offered in Part ‘A’ of the tender.

Expression of interest (EOI) is hereby invited in a 2-cover bid system from experienced, competent Companies/Agencies working in the field of Fire Safety Training and Placements, preferably in the states mentioned above for the following courses-

S. NO.	ELIGIBLE BENEFICIARIES	COURSE NAME	DURATION
1.	10+2 / ITI / GRADUATES / DIPLOMA	DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING	1 YEAR / 480 HRS.
2.	BE / B.TECH / 3 YEARS DIPLOMA / SCIENCE GRADUATE	ADVANCE DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING	480 HRS. / 6 MONTHS FAST TRACK
3.	10 <sup>th</sup> / DIPLOMA / ITI / GRADUATE	CERTIFICATE IN FIREMAN	6 MONTHS
4.	10+2 / DIPLOMA / ITI / GRADUATE	FIRE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT	1 YEAR / 480 HRS.
5.	10+2	CERTIFICATE IN INDUSTRIAL SAFETY	3 MONTHS
6.	BE / B.TECH / 3 YEARS DIPLOMA / SCIENCE GRADUATE	DIPLOMA IN ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT	480 HRS. / 6 MONTHS FAST TRACK

## **PART-A (TECHNICAL)-**

CTR shall provide technical support and certification on revenue sharing basis and rest of infrastructure / equipment has to be arranged by the interested party as per norms. The party should have sound skill development/training background in Fire Safety, Health Safety and Environment Safety with skilled human resources to impart the training with all quality deliverance for the maximum placement ratio.

Minimum Eligibility criteria for Skill Development /Training Partner for setting up of the state-of the-art training Centre at states like J&K, HP, Punjab, Chandigarh, Haryana, UK, UP, Delhi, Rajasthan in FIRE SAFETY, HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT-

- a. The interested entity should be legally registered organization having average turnover of 1.0 crore or above during the last two financial years. It shall submit sealed Technical and Commercial bids separately under 2-cover bid system.
- b. The Agency /Company/Training Partner should be working in the related field of Training / Skill Development Training for minimum two years. Proof to be enclosed.
- c. The agency /Company/ Training Partner should have successfully trained /imparted skills to minimum 500 candidates during last two years. Proof to be enclosed.
- d. The Agency/Company should be financially sound and willing to invest in infrastructure including labs. required for setting up State-of the-Art Skill Development Centres the states listed above.
- e. The Agency/Company should have good track record of placements and should have placed atleast 70% of the trainees trained by them. Proof to be enclosed.

Scope / Responsibilities of the Skill Development / Training Partner for establishing State-of-the-Art Skill Development Centre at various states-

Activities Involved-

1. Mobilizing and Training of candidates.
2. Setting up of necessary infrastructure at the training centers along with all the required lab. equipment as per the prescribed guidelines. The Skill Development/Training Partner has to create necessary infrastructure for practical training at required locations.
3. Provide training material/handouts for the candidates.
4. Arrange competent trainers /faculty in the required Qualification Packs /Job Roles for these initiatives.
5. Organizing Job Melaas, Publicity and Placements of trained manpower and spread awareness about the schemes through events, seminars, advertisements, distribution of publicity material etc.
6. Biometric attendance and CCTV surveillance and remote center validation work.

7. Appoint the skilled trainers for the management of the training centers.
8. Registration of candidates on MIS (Management Information System) portal.
9. Opening of online certification verification of the candidates.
10. Payment of Assessment Fee to the MSME /Third party assessment.
11. Extend help to CTR for setting up infrastructure for the course.

CTR reserves the right to reject any application without assigning any reason.

#### **PART-B (COMMERCIAL)-**

The bidder to quote CTR share in the table below-

<b>S. NO.</b>	<b>ELIGIBLE BENEFICIARIES</b>	<b>COURSE NAME</b>	<b>DURATION</b>	<b>COURSE FEE</b>	<b>Proposed CTR Share</b>
1.	10+2 / ITI / GRADUATE / DIPLOMA	DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING	1 YEAR / 480 HRS.	40,000/-	
2.	BE / B.TECH / 3 YEARS DIPLOMA / SCIENCE GRADUATE	ADVANCE DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING	480 HRS. / 6 MONTHS FAST TRACK	45,000/-	
3.	10 <sup>th</sup> / DIPLOMA / ITI / GRADUATE	CERTIFICATE IN FIREMAN	6 MONTHS	22,000/-	
4.	10+2 / DIPLOMA / ITI / GRADUATE	FIRE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT	1 YEAR / 480 HRS.	45,000/-	
5.	10+2	CERTIFICATE IN INDUSTRIAL SAFETY	3 MONTHS	15,000/-	
6.	BE / B.TECH / 3 YEARS DIPLOMA / SCIENCE GRADUATE	DIPLOMA ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT	480 HRS. / 6 MONTHS FAST TRACK	45,000/-	

Taxes will be charged extra if applicable

## अग्नि सुरक्षा में कौशल विकास के लिए एक एजेंसी की भागीदारी के लिए “रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) का आमंत्रण”

संदर्भ संख्या: सीटीआर/एलडीएच/१८३३/विविध/२०१८-०१

दिनांक: २४.१०.२०१८

केंद्रीय टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना, 1980 में स्थापित एक भारत-जर्मन परियोजना है, जो कि भारत सरकार और जर्मनी सरकार के मध्य द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत तकनीकी सहयोग के आधार पर स्थापित है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है।

केंद्रीय टूल रूम, "भारत सरकार के सोसाइटी" के रूप में तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (अब: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), भारत सरकार के तहत स्थापित किया गया है। मंत्रालय द्वारा गठित एक संचालक मण्डल संस्था के मामलों का प्रबंधन करता है। संचालक मण्डल के सदस्य भारत सरकार के एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और केंद्रीय शासित चंडीगढ़ की सरकारों से होते हैं।

इंजीनियरिंग उद्योगों के साथ – साथ अन्य उद्योगों की वृद्धि एवं विकास, विभिन्न चरणों में सुरक्षा मानदंडों के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। इसलिए, लोगों की संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में एक पहल की आवश्यकता है।

अक्सर इन औद्योगिक सुरक्षा मानदंडों को छोटे और बड़े पैमाने के उद्यमों में कड़ाई से लागू नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, इन उद्यमों में अग्नि एवं अन्य सुरक्षा मानदंडों की पूरी प्रक्रिया और संरचना की रक्षा के लिए संबंधित विशेषज्ञता वाले कर्मियों की कमी होती है। उद्योग, अग्नि एवं सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार न देकर, उनके वेतन पर खर्च होने वाले अपने व्यय को बचाते हैं।

केंद्रीय टूल रूम, अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण प्रदाता को संलग्न करने का इच्छुक है।। भारत के युवाओं के लिए, उपरोक्त विषयों में कौशल विकास उपक्रमों को विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक योग्यता पैक / कार्य भूमिकाओं के तहत वितरित करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय टूल रूम, उपरोक्त स्थानों के लिए कौशल विकास / प्रशिक्षण साझीदारों, जो आर्थिक रूप से सक्षम, सहयोग करने और इन पहलुओं में निवेश करने का इरादा रखते हों, को उद्योगों में सुरक्षित कार्यस्थल और पर्यावरण प्रदान करने का इच्छुक है। इच्छुक व्यक्तियों / कंपनी को विभिन्न औद्योगिक

क्षेत्रों में जॉब रोल निर्माण के लिए मानदंडों / दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रयोगशालाओं के निर्माण और भारत के उपरोक्त राज्यों के विभिन्न जिलों में आवश्यकता के आधार पर निवेश करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस आमंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सुरक्षा मानदंडों के साथ-साथ अधिक रोजगार पैदा करना और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है।

महाप्रबंधक, केंद्रीय टूल रूम, लुधियाना द्वारा "अग्नि सुरक्षा में कौशल विकास के लिए एक एजेंसी की भागीदारी के लिए रुचि का अभिव्यक्ति (ईओआई)" के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाएं दिनांक १५.११.२०१८ तक ०२.०० बजे तक ही प्राप्त की जाएंगी और निविदाधारी निविदाओं की उपस्थिति में अगले दिन यानी १६.११.२०१८ को ०३.०० बजे तक खोली जाएगी। देर से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदाओं के साथ-साथ ब्याज-मुक्त अग्रिम धन "सेंट्रल टूल रूम लुधियाना" के पक्ष में मांग पत्र / बैंक गारंटी के रूप में **1,000 / -** (एक हजार केवल) जमा करवाना जरूरी है। डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के बिना निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

निविदाएं निर्धारित तिथि और समय से पहले [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) पोर्टल पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इस निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठ को निविदा के साथ हस्ताक्षरित और जमा करना है।

निविदाएं दो भागों में जमा की जानी चाहिए। भाग 'ए' तकनीकी भाग होना चाहिए। इस भाग 'ए' में कोई कीमत नहीं दी जानी चाहिए। पैसे के लिए डीडी भी इस भाग में प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए जाने और इस भाग 'ए' के साथ अपलोड किया जाना है।

निविदा के भाग 'बी' में निविदाकार द्वारा उद्धृत कीमतों होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि निविदा के भाग 'ए' में दी गई सीटीआर के शेयर के विवरण के संदर्भ में कीमतें उद्धृत की गई हैं।

आमंत्रण (ईओआई) के द्वारा, यहाँ दो-स्तरीय बोली प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए उपरोक्त राज्यों में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण और नियुक्तियों के क्षेत्र में काम कर रहे अनुभवी, समर्थ कंपनियों / एजेंसियों को आमंत्रित किया जाता है -



क्रमांक	योग्यता	कोर्स का नाम	अवधि
1.	10 + 2 / आई टी आई / स्नातक / डिप्लोमा	अग्नि और सुरक्षा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	1 साल / 480 घंटे
2.	बी-ई / बी-टेक / 3 साल का डिप्लोमा / विज्ञान में स्नातक	अग्नि और सुरक्षा इंजीनियरिंग में एडवांस डिप्लोमा	480 घंटे / 6 महीने फ़ास्ट ट्रेक
3.	10वीं / डिप्लोमा / आई टी आई / स्नातक	अग्निकर्मी का प्रमाण पत्र	6 महीने
4.	10+2 / डिप्लोमा / आई टी आई / स्नातक	अग्नि प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन	1 वर्ष / 480 घंटे
5.	10 + 2	औद्योगिक सुरक्षा में प्रमाण पत्र	3 महीने
6.	बी-ई / बी-टेक / 3 साल का डिप्लोमा / विज्ञान में स्नातक	पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन में डिप्लोमा	480 घंटे / 6 महीने फ़ास्ट ट्रेक

### भाग-ए (तकनीकी) -

केंद्रीय टूल रूम, आय में साझाकरण के आधार पर तकनीकी सहयोग और प्रमाणिकता प्रदान करेगा तथा इच्छुक पार्टी को मानदंडों के अनुसार बाकी के बुनियादी ढांचे / उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी। पार्टी को, नौकरियों की अधिकतम प्रतिशतता के लिए गुणवत्ता वितरण के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुशल प्रशिक्षकों के साथ अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा में सक्षम कौशल विकास / प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए।

कौशल विकास / प्रशिक्षण सहयोगी के लिए जम्मू-कश्मीर, हि.प्र., पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, यू.पी., दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु न्यूनतम पात्रता मापदंड-

क. इच्छुक इकाई कानूनी रूप से पंजीकृत संगठन होना चाहिए, जिसका औसत कारोबार पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान 1.0 करोड़ या उससे अधिक का रहा हो। वह दो-कवर बोली प्रणाली के अंतर्गत अलग से मुहरबंद तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां जमा करवाएगा।

ख. एजेंसी / कंपनी / प्रशिक्षण सहयोगी को प्रशिक्षण / कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों के कार्य का अनुभव होना चाहिए। संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाएँ।

ग. एजेंसी / कंपनी / ट्रेनिंग पार्टनर को पिछले दो वर्षों के दौरान कम से कम 500 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने का अनुभव होना चाहिए। संबन्धित दस्तावेज संलग्न किये जाएँ।

घ. एजेंसी / कंपनी / ट्रेनिंग पार्टनर को उपरोक्त सूचीबद्ध राज्यों में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक प्रयोगशालाओं सहित बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत और इच्छुक होना चाहिए।

ड. एजेंसी / कंपनी का नियुक्तियों का पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और उनके द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से कम से कम 70% को नौकरी प्राप्त होनी चाहिए। संबन्धित दस्तावेज संलग्न किये जाएँ

विभिन्न राज्यों में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए कौशल विकास / प्रशिक्षण सहयोगी के दायित्व / जिम्मेदारियां :-

लिप्त गतिविधियां :-

1. उम्मीदवारों को संगठित करना और उनको प्रशिक्षण देना।
2. निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों के साथ प्रशिक्षण केंद्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना।। कौशल विकास / प्रशिक्षण साझेदार को आवश्यक स्थानों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाना होगा।
3. उम्मीदवारों को प्रशिक्षण सामग्री / विवरणिका प्रदान करनी होगी।
4. इन प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक योग्यता पैक / कार्य भूमिकाओं में सक्षम प्रशिक्षकों / अध्यापकों की व्यवस्था करनी होगी।
5. प्रशिक्षित मानव शक्ति के प्लेसमेंट और प्रचार हेतु नौकरी मेलों को आयोजित करना और स्पर्धाओं, संगोष्ठियों, विज्ञापनों, प्रचार सामग्री आदि के माध्यम से योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलानी होगी।
6. बॉयोमीट्रिक उपस्थिति और सी.सी.टी.वी. निगरानी और दूरस्थ केंद्र सत्यापन कार्य की व्यवस्था करनी होगी।
7. प्रशिक्षण केंद्रों के प्रबंधन के लिए कुशल प्रशिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
8. MIS (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल पर उम्मीदवारों का पंजीकरण करना होगा।
9. उम्मीदवारों के ऑनलाइन प्रमाणीकरण सत्यापन की व्यवस्था करनी होगी।
10. एम.एस.एम.ई./ तीसरे पक्ष के द्वारा मूल्यांकन के लिए आकलन शुल्क का भुगतान करना होगा।
11. पाठ्यक्रम में आधारभूत संरचना की स्थापना में केंद्रीय टूल रूम की सहायता करनी होगी।



केंद्रीय टूल रूम को यह अधिकार होगा कि वह कोई भी कारण बताये बिना किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

### भाग-बी (वाणिज्यिक) –

बोलीदाता को केंद्रीय टूल रूम का शेयर निम्न तालिका में उद्धृत करना होगा –

क्रमांक	योग्यता	कोर्स का नाम	अवधि	कोर्स का शुल्क	सीटीआर का प्रस्तावित अंश
1.	10 + 2 / आई टी आई / स्नातक / डिप्लोमा	अग्नि और सुरक्षा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	1 साल / 480 घंटे	40,000/-	
2.	बी-ई / बी-टेक / 3 साल का डिप्लोमा / विज्ञान में स्नातक	अग्नि और सुरक्षा इंजीनियरिंग में एडवांस डिप्लोमा	480 घंटे / 6 महीने फ़ास्ट ट्रेक	45,000/-	
3.	10वीं / डिप्लोमा / आई टी आई / स्नातक	अग्निकर्मों का प्रमाण पत्र	6 महीने	22,000/-	
4.	10+2 / डिप्लोमा / आई टी आई / स्नातक	अग्नि प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन	1 वर्ष / 480 घंटे	45,000/-	
5.	10 + 2	औद्योगिक सुरक्षा में प्रमाण पत्र	3 महीने	15,000/-	
6.	बी-ई / बी-टेक / 3 साल का डिप्लोमा / स्नातक	पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन में डिप्लोमा	480 घंटे। / 6 महीने फ़ास्ट ट्रेक	45,000/-	

कृपया नोट करें –

- यदि कोई कर लागू होगा तो वो अलग से लिया जाएगा।
- यदि हिन्दी भाषा में कोई विसंगति पायी जाती है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।